



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102020-222793
CG-DL-E-28102020-222793

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557]
No. 557]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 28, 2020/ कार्तिक 6, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2020/KARTIKA 6, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2020

सं. 40/2020-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 681(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तु, जो कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के उस उप शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, की एक वित्तीय वर्ष में कुल आयात की उतनी मात्रा को जितनी की नीचे कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है (एतश्मिन पश्चात जिसे “टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) मात्रा” से संदर्भित किया गया है), जब इनका आयात भारत में हुआ हो, उतने सीमा शुल्क से जो कि उक्त प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उस पर लगाया जाता हो और उक्त सारणी के कॉलम (5) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से परिगणित राशि से अधिक हो (एतश्मिन पश्चात जिसे इन-कोटा टैरिफ रेट से संदर्भित किया गया है), से छूट देती है, बशर्ते कि इस अधिसूचना के अनुबंध में विनिर्दिष्ट कोई शर्त, जिसकी शर्त संख्या उक्त सारणी के कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, पूरी होती हो, यथा :-

सारणी

क्र.सं.	उप शीर्षक टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	टैरिफ रेट कोटा मात्रा	इन-कोटा टैरिफ रेट	शर्त संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	0701	आलू	10,00,000 मीट्रिक टन	10%	1

अनुबंध

शर्त संख्या	शर्त
1.	(क) हेंड बुक ऑफ प्रोसिजर, 2015-20 में यथा विनिर्दिष्ट संगत प्रक्रिया के अनुसार आयातकर्ता को विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा टैरिफ रेट कोटा आबंटित किया गया हो। (ख) उक्त टैरिफ रेट कोटा प्राधिकार पत्र में आयातकर्ता का नाम और पता, आईसी कोड, सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या, लागू होने वाले उक्त शीर्षक या टैरिफ मद, मात्रा और प्रमाण पत्र की वैधता अवधि उल्लिखित हो। (ग) टीआरक्यू प्राधिकार पत्र को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इलैक्ट्रॉनिक तरीके से जारी किया जाएगा और इसे आईसीईएस सिस्टम से भेजा जाएगा। (घ) उक्त टीआरक्यू के एवज में किए जाने वाले आयात की तभी अनुमति होगी जब आईसीईएस सिस्टम में इलैक्ट्रॉनिक रूप से डेबिटिंग हो गई हो।

बशर्ते कि इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात 31 जनवरी, 2021 के पश्चात उक्त सारणी के क्रम संख्या 1 के समक्ष विनिर्दिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।

[फा. सं. 354/105/2014-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2020

No. 40/2020-Customs

G.S.R. 681(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below, and falling within the sub-heading or tariff item of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, as are specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table in such quantity of total imports of such goods in a financial year, as specified in column (4) below (herein after referred to as the 'tariff rate quota (TRQ) quantity'), when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table (herein after referred to as the In-quota tariff rate), subject to any of the conditions, specified in the Annexure to this notification, the condition number of which is mentioned in the corresponding entry in column (6) of the said Table, namely: -

TABLE

S.No.	Sub-heading or tariff item	Description of goods	Tariff rate quota quantity	In-quota tariff rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	0701	Potatoes	10,00,000 MT	10%	1

ANNEXURE

Condition No.	Condition
1.	(a) The TRQ is allotted to the importer by the Directorate General of Foreign Trade, in accordance with the relevant procedure as specified in the Hand Book of Procedure 2015-20.

	(b) The TRQ authorization shall contain name and address of the importer, IEC code, Customs notification No., sub-heading or tariff item as applicable, quantity and validity period of certificate. (c) The TRQ authorization shall be issued electronically by the Directorate General of Foreign Trade and transmitted to ICES system. (d) Imports made against the TRQ shall be allowed only upon debiting electronically in the ICES system.
--	--

Provided that nothing contained in this notification shall apply to the goods specified against serial number 1 of the said Table after the 31st day of January 2021.

[F. No. 354/105/2014-TRU]
GAURAV SINGH, Dy. Secy.